

CEM/1985
29/11/19

AHO

प्रपत्र-अ

Ym
29-11-19


चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु
प्रार्थना-पत्र

क्र.स.	विवरण	आवेदक/संस्था द्वारा
1	संस्था/संगठन का नाम	श्री गिजानंद सिंह शेखरवात
2	प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	गिजानंद सिंह शेखरवात
3	डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. एवं मेल आई.डी.	P.N. 124, विद्युत नगर टॉक रोड, जयपुर
4	भूमि आवंटन का उद्देश्य	रिजर्व्ड इन्डिस्ट्रियल एरिया के लिए
5	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	2000 Sq. MT. मानसरोवर सिविलिया पथ
6	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	मानसरोवर के रास्ता पर 2000 वर्ग मी
7	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)	संलग्न है।
8	संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण	NA
9	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	
	i- रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	संलग्न है।
	ii- बाईलॉज रेग्युलेशन्स	संलग्न है।
	iii- गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट	संलग्न है।
	iv- संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।	संलग्न है।
	v- प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)	संलग्न है।
	vi- रुपये 5000 + 900 GST सहित (पांच हजार नौ सौ रुपये) का बैंक डी.डी. / पे-ऑर्डर जो सम्बंधित शहरी निकाय के सचिव/अधिशाषी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।	संलग्न है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं व कुछ भी नहीं छुपाया गया है संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक 29/11/19
स्थान : जयपुर

Dr. Gijendra Singh Shekharwat
Mo. No - 9829019460
The Indian Institute of Architects


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Chairman
Rajasthan Chapter
The Indian Institute of Architects.

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि-आवंटन बाबत निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट।

पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं

आवेदक का नाम/पता	आवेदक ज्ञानेंद्र सिंह जी खान
शहर/कस्बे/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	श्रीपथ, मानसरोवर, जयपुर
चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	
आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	02/09/1929
संस्था का गत तीन वर्षों का आय-व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	संलग्न है।
संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/किये जा रहे कार्यों का विवरण	संलग्न है।
चाही गई भूमि के उपयोग बाबत परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण।	संलग्न है।

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा।	वास्तुविद् के वास्तुविद् गतिविधियां हेतु
आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत नोर्मस	कैम्पिंग गतिविधियों बाबत।
क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	नहीं
संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	लार्ज नहीं
आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	5900/- का D.D. संलग्न
चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	
चाही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	
चाही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद/स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	अन्दर
आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों/प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साथ संबंधी विवरण	D.P.R में उल्लेखित है।
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	लार्ज नहीं
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	
आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	संस्थागत गतिविधियों हेतु
आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के संबंध में विवरण	वास्तुविद् गतिविधियों के नियोजन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण।
यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	
आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	
क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	नहीं
अन्य विवरण	

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015

33

Guarantor
Chairman
Rajasthan Chapter
The Indian Institute of Architects.